

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नौएडा

23.12.2024 को अपराह्न 03:00 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (एनएसईजेडए) की बैठक का कार्यवृत्त, जो 23.12.2024 को अपराह्न 03:00 बजे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ए बिपिन मेनन की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

बैठक के दौरान एनएसईजेड प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्य/विशेष आमंत्रित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)
2. श्री राकेश कुमार, सहायक डीजीएफटी, कानपुर (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए)
3. श्री पुनीत कपूर, भागीदार, मेसर्स एपीके आइडेंटिफिकेशन, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए)
4. श्री अमृत लाल मनवानी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मेसर्स सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस लिमिटेड (यूनिट-2) (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए)

इसके अलावा, बैठक के दौरान i) श्री किरण मोहन मोहदिकर, उप. विकास आयुक्त एवं सचिव, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, (NSEZA), ii) श्री गया प्रसाद, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), iii) श्री श्री रविकेश त्रिपाठी, उप आयुक्त सीमा शुल्क, iv) श्री राजेंद्र मोहन कश्यप, सहायक विकास आयुक्त, v) श्री अरुण सिंह परिहार, स्टेनोग्राफर-II, vi) श्री श्रीपति शर्मा, सीए, यूसीसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी और, vii) श्री नीलेश शाह, सलाहकार (सिविल अभियंता) (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए) viii) श्रीमती सपना शर्मा, आर्किटेक्ट और ix) श्रीमती सोनाक्षी गंडोत्रा, वाईपी (कानूनी) भी प्राधिकरण की सहायता के लिए उपस्थित थीं।

बताया गया कि बैठक में गणपूर्ति पूरा हो चुका है और बैठक आगे बढ़ सकती है। प्रारंभ में, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (NSEZA) के अध्यक्ष और अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया और सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

प्रारंभ में, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और संक्षिप्त परिचय के बाद, और कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया।

1. दिनांक 19.08.2024 को आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

1.1 एनएसईजेड प्राधिकरण को सूचित किया गया कि 19.08.2024 को आयोजित उसकी बैठक में लिए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ। तदनुसार, 19.08.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।



1.2 इसके अलावा, एनएसईजेड प्राधिकरण ने एसईजेड प्राधिकरण नियम, 2009 के नियम 10 के उप-नियम 14 के संदर्भ में 19.08.2024 को आयोजित अपनी बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की और 19.08.2024 को आयोजित अपनी बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

2. कौशल विकास केंद्र सुविधा केंद्र सेंटर में 01 लिफ्ट की आपूर्ति स्थापना, परिक्षण और चालू करने के लिए प्रशानिक अनुमोदन के सम्बन्ध में

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। उचित विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने मेसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री नीलेश शाह (परामर्शदाता - सिविल इंजीनियर), श्रीमती सपना शर्मा (वास्तुकार, डिजाइन वास्तुकला समाधान) और वर्तमान ठेकेदार को कौशल विकास केंद्र और सुविधा केंद्र में एक लिफ्ट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने के लिए एक संयुक्त सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। सर्वेक्षण के आधार पर, उन्हें प्राधिकरण द्वारा विचार के लिए पूरी अनुमानित लागत सहित एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। संयुक्त सर्वेक्षण में यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती जाएगी कि मौजूदा सीढ़ी की जगह से समझौता न हो और मौजूदा संरचनाओं का न्यूनतम टूटना हो।

3. एसडीएफ डी ब्लॉक में स्थापित 01 यात्री लिफ्ट की मरम्मत/प्रतिस्थापन करने के सम्बन्ध में

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने एसडीएफ डी ब्लॉक में स्थापित यात्री लिफ्ट की मरम्मत के लिए 11.49 लाख रुपये के अनुमानित व्यय के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। साथ ही लिफ्ट मरम्मत कार्य के लिए आईटीआई ईआरपी सेवाओं का उपयोग करते हुए सीपीपीपी के माध्यम से ई-टेंडर आमंत्रित करके प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

4. सीमेंट कंक्रीट सड़क के लिए विभिन्न अतिरिक्त/विकल्पीय कार्यों के निष्पादन हेतु मेसर्स एनबीसीसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत अनुमानित राशि रु 3,65,81,415/- के सम्बन्ध में

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद डामरी सड़कों के स्थान पर सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़कों के निर्माण की मंजूरी के लिए फाइल पर लिए गए निर्णय की पुष्टि की और निम्नलिखित शर्तों के अधीन 3,65,81,415/- रुपये की अतिरिक्त लागत को भी मंजूरी दी:-

- i. एनबीसीसी डिजाइन, ड्राइंग, तकनीकी विनिर्देश और दरों को अंतिम रूप देने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार रहेगी।
- ii. एनएसईजेड को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ के मंजूरी दी जाती है। वास्तविक व्यय समग्र स्वीकृत परियोजना लागत के भीतर रहेगा।
- iii. एनबीसीसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना के पूरा होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए ठेकेदार द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के सीसी सड़कों का

रखरखाव किया जाए। रखरखाव के लिए एनएसईजेड द्वारा कोई सामग्री आपूर्ति नहीं की जाएगी।

iv. यह अनुमोदन केवल प्रारंभिक लागत अनुमानों पर आधारित है। वास्तविक दरों को एनबीसीसी द्वारा निविदा शर्तों और इस कार्यालय से आंतरिक अनुमोदन के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा।

5. मेसर्स नूट्रास्यूटिकल्स की शेयरधारिता/निदेशकों /भागीदारों आदि में परिवर्तन के सम्बन्ध में

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। उचित विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि इकाई पर कोई हस्तांतरण शुल्क/आवंटन शुल्क नहीं लगाया जाएगा क्योंकि इकाई ने अब तक कोई उत्पादन शुरू नहीं किया है।

6. मेसर्स एनबीसीसी लिमिटेड को विभिन्न अतिरिक्त कार्यों हेतु अनुमानित राशि रु 1.79/- करोड़ की जारी स्वीकृति के सूचना के सम्बन्ध में

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने वर्तमान में निष्पादित अतिरिक्त कार्यों अर्थात् नए पार्किंग क्षेत्र, प्रवेश/मौजूदा रैंप, एनपी 2 पाइप, चारदीवारी, अस्थायी द्वार, एसएस कार्य, विद्युत कार्य और अन्य विविध कार्यों के लिए 1,79,20,944.52/- रुपये की लागत को मंजूरी देने के लिए फाइल पर लिए गए निर्णय की पुष्टि की। प्राधिकरण ने ध्यान दिया कि एनएसईजेड पर अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा और प्रारंभिक स्वीकृत लागत से बचत के विरुद्ध व्यय किया जा सकता है।

7. एन०एस०ई०जेड० में स्थित भू खंडों के भवन मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। उचित विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया।

8. एनएसईजेड में एसडीएफ के आवंटन के लिए आवंटन शुल्क में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। उचित विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने वित्तीय निहितार्थ के संबंध में मामले की पुनः जांच करने का निर्देश दिया।

9. एनएससीजेड द्वारा धर्मकांटा बंद करने के कारण पट्टा किराया माफ़ करने के सम्बन्ध में

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने मेसर्स एनबीसीसी लिमिटेड द्वारा गेट नंबर 02 और आसपास के क्षेत्र में किए जा रहे नवीनीकरण कार्य के दौरान वे ब्रिज बंद होने के कारण विक्रेता को हुए नुकसान की भरपाई के तौर पर मेसर्स तयाना फूड्स को वे ब्रिज के किराए पर ₹90,000 की एकमुश्त छूट देने का फैसला किया।

10. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हाउसकीपिंग से सम्बंधित कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और ठेकेदार मेसर्स ऑरा एफएमएस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही हाउसकीपिंग सेवाओं की समीक्षा की। ठेकेदार को निविदा की सभी शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया गया। प्राधिकरण ने संपदा अनुभाग को कार्यकारी/वरिष्ठ कार्यकारी के माध्यम से हाउसकीपिंग सेवाओं पर साप्ताहिक रिपोर्ट प्राप्त करना जारी रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का भी निर्देश दिया, जैसा कि पहले किया गया था। प्राधिकरण ने सभी सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन की निगरानी के लिए तंत्र बनाने का भी निर्देश दिया।

11. सुविधा केंद्र में दुकानों के सञ्चालन की समीक्षा के सम्बन्ध में

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित दुकान के आवंटियों को तंबाकू से संबंधित वस्तुओं की बिक्री तत्काल बंद करने तथा सुविधा केंद्र में साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए। प्राधिकरण ने संपदा अनुभाग को यह भी निर्देश दिया कि सुविधा केंद्र में आवंटियों द्वारा रखी गई साफ-सफाई की समीक्षा करने के लिए कार्यकारी/वरिष्ठ कार्यकारी के माध्यम से साप्ताहिक रिपोर्ट प्राप्त करना जारी रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। अनुपालन की समीक्षा एक महीने के भीतर की जाएगी तथा यदि कोई भी व्यक्ति फिर भी शर्तों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे बेदखल करने की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

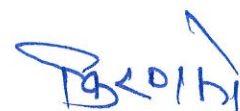
12. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न रख-रखाव से सम्बंधित कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में

एनएसईजेड में ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न रखरखाव संबंधी कार्यों की रिपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत की गई। प्राधिकरण ने एनएसईजेड में ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे रखरखाव संबंधी कार्यों की एक-एक करके समीक्षा की, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

i. जोन कॉम्प्लेक्स, सर्विस सेंटर बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर बिल्डिंग में सीवर/नालियों की सफाई, अपशिष्ट निपटान, स्वच्छता और संबंधित कार्य:

प्राधिकरण ने ठेकेदार मेसर्स ऑरा एफएमएस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई हाउसकीपिंग सेवाओं की समीक्षा की और ठेकेदार को निविदा की सभी शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया। प्राधिकरण ने एस्टेट सेक्शन को हाउसकीपिंग सेवाओं की समीक्षा के लिए कार्यकारी/वरिष्ठ कार्यकारी के माध्यम से साप्ताहिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का भी निर्देश दिया, जैसा कि पहले किया गया था।

ii. पार्कों/लॉनों/केंद्रीय किनारों, साइड किनारों/ग्रीन बेल्टों, क्यारियों और अन्य बागवानी कार्यों का रखरखाव:



प्राधिकरण ने ठेकेदार मेसर्स एल.आर. ब्रदर्स द्वारा उपलब्ध कराए गए बागवानी संबंधी कार्यों की समीक्षा की और ठेकेदार को आवश्यक संख्या में मशीनें और श्रमिक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ऐसा न करने पर संपदा प्रबंधन अनुभाग कारण बताओ नोटिस जारी करने पर विचार कर सकता है।

iii. सुरक्षा सेवाओं के लिए मानव संसाधन का प्रावधान:

प्राधिकरण ने ठेकेदार मेसर्स केएसजे डायनेमिक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा सेवाओं की समीक्षा की और ठेकेदार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी गार्ड समय पर बिल भुगतान के लिए बायोमेट्रिक पंचिंग सिस्टम में पंजीकृत हों।

iv. एनएसईजेड प्राधिकरण, फेज-II, नोएडा में जनशक्ति की तैनाती:

प्राधिकरण ने ठेकेदार मेसर्स ट्रेडी सिक्योरिटी सर्विसेज द्वारा प्रदान की गई जनशक्ति की समीक्षा की।

v. जलापूर्ति लाइनों, ट्यूबवेल, यूजीआर, ओवरहेड वाटर टैंकों का संचालन और नियमित रखरखाव, क्षेत्र में उचित जल आपूर्ति, एनएसईजेड में फव्वारों का संचालन और रखरखाव, और अग्निशमन सेवाओं का रखरखाव:

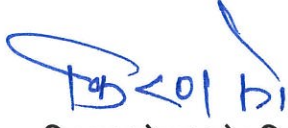
प्राधिकरण ने ठेकेदार मेसर्स स्टेबल एप्लाइंसेस द्वारा प्रदान की गई जलापूर्ति से संबंधित कार्यों की समीक्षा की।

vi. स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट, एलईडी, लॉन लाइट, पार्किंग लाइट, ट्रांसफॉर्मर, विद्युत कार्य, एसी मरम्मत और जेनरेटर सेट रखरखाव का रखरखाव:

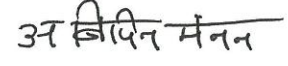
प्राधिकरण ने ठेकेदार मेसर्स स्टेबल एप्लाइंसेस द्वारा प्रदान किए गए विद्युत कार्यों की समीक्षा की। यह बताया गया कि कुछ स्थानों पर डार्क जोन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ठेकेदार ने बताया कि मेसर्स एनबीसीसी लिमिटेड द्वारा नए पोल लगाए जाने की आवश्यकता है और कुछ क्षेत्रों में पोल की कमी है; कुल 36 पोल पर लाइट की आवश्यकता है। मेसर्स एनबीसीसी लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने उल्लेख किया कि जीआरएपी के कार्यान्वयन के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका, लेकिन आश्वासन दिया कि जीआरएपी प्रतिबंध हटने के 10 दिनों के भीतर कार्य पूरा हो जाएगा। सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने ठेकेदार को अस्थायी व्यवस्था करने के लिए ₹4.00 लाख की अनुमानित राशि को मंजूरी दी, जिसमें वास्तविक राशि का भुगतान ठेकेदार के मासिक बिल के साथ किया जाना है।

vii. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का संचालन एवं रखरखाव:

प्राधिकरण ने ठेकेदार मेसर्स हिंदुस्तान डॉक यार्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की।



किरण मोहन मोहाडिकर
सचिव



(ए. बिपिन मेनन)
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी